कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

ललन किशोर प्रसाद बनाम् विजय विश्वकर्मा

अपील वाद संख्या...../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9.10.21

आवेदक ललन किशोर प्रसाद पिता स्व0 गोखुल प्रसाद, साकिन- केशोडीह, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह द्वारा जमाबंदी रद्द वाद के तहत आवेदन देकर विजय विश्वकर्मा पिता स्व0 बोधी मिस्त्री साकिन- केशोडीह थाना बिरनी जिला गिरिडीह के नाम से निम्नलिखित भूमि का जमाबंदी को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा
केशोडीह	78	139	1 एकड़ 34 डी0

अतः उभय पक्षों को नोटिश निर्गत करते हुए अभिलेख दिनांक 20/10/2021 ..... को रखें।

9/10/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश.	
12/08/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद (अपील) अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा नामांतरण वाद सं०-508/11-12 एवं 509/11-12 में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया। अपीलकर्ता के अनुसार प्रश्नागत भूमि ग्राम-केशोडीह थाना-बिरनी में स्थित खाता-78, प्लाट-139, कुल रकबा-1.34 एकड़ है, जो सर्वे खतियान के अनुसार खतियानी रैयत बेनी लाल है। खतियानी रैयत अपीलकर्ता के पूर्वज हैं। खतियानी रैयत की मृत्यु के पश्चात उनके छः पुत्र खानगी बँटवारा कर हिस्सा के अनुसार दखलकार हुये। ~~उभय पक्ष एक ही रैयत के वंशज है।~~ विपक्षी गण ने खतियानी रैयत के सभी रैयतों की सहमति के बिना सारी भूमि का केवाला कर नामान्तरण करवा लिये। अपीलकर्ता का आगे कहना है कि विपक्षी स्वीकार करते हैं कि खतियानी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

रैयत के वंशज चार भाई हैं, परन्तु केवाला मात्र तीन भाईयों से सम्पूर्ण जमीन का करवा लेते हैं। अतः नामांतरण वाद सं० 508/11-12 एवं 509/11-12 में पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Bihar Tenant's Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 के धारा - 14, 15 के अंतर्गत वाद की Maintainability पर प्रश्न उठाया गया। अपीलकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा - 14 के अंतर्गत अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा - 15 में अपील का प्रावधान है, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति दाखिल नहीं किया गया है तथा नामांतरण के लगभग 11 वर्षों के बाद वाद दायर किया गया है, जो विचारनीय नहीं हो सकता है।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभयपक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया उभय पक्षों के दलील सुनने के पश्चात् द्वितीय पक्ष के द्वारा रखे गये बिन्दुओं से सहमत होते हुये इस अपील को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। ह०/- 12/08/22 LRDC Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.12 16:34:20 +05:30
Location: 192.168.43.238